उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com
दूरभाषः 0135–2662971 / फैक्सः 2662334

पत्रांक : 11 / सू.एवंलो.स.वि.(विज्ञा.) 42 / 2016 दिनांक 09/01/, 2018

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड प्रिण्ट मीडिया विज्ञापन नियमावली 2015 के अन्तर्गत गठित सूचीबद्धता संचालन समिति की बैठक सूचना महानिदेशालय में 30 नवम्बर, 2017 को आयोजित हुई। समिति द्वारा नियमावली में निहीत प्राविधानों के अंतर्गत विभाग में पूर्व से सूचीबद्ध जनपद टिहरी से प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र हिमालय और हम के स्वामी द्वारा उत्तरजीवी प्रमाण–पत्र तथा जनपद नैनीताल से प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र पिघलता हिमालय के स्वामी द्वारा अद्यतन ई–फाइलिंग उपलब्ध कराने पर समाचार पत्रों की सूचीबद्धता निम्नानुसार नवीनीकृत करने की संस्तुति की गई :–

क्र. सं.	पत्र का नाम, अवधि, प्रकाशन स्थल एवं पता	समाचार पत्र की दर (डीएवीपी / विभागीय)	प्रसार संख्या	दर
1	हिन्दी साप्ताहिक हिमालय और हम, टिहरी	डीएवीपी	5200	10.69
2.	हिन्दी साप्ताहिक पिघलता हिमालय, नैनीताल	विभागीय	4800	6.93

उक्त समाचार पत्र जिन्हें डी.ए.वी.पी. दर प्राप्त है, उनको नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत डी.ए.वी.पी. दर पर तथा जो समाचार पत्र विभाग में न्यूनतम दर पर पूर्व से ही सूचीबद्ध थे की सूचीबद्धता उनके द्वारा घोषित तथ्यों को बिना किसी पूर्वाग्रह के उनके शपथ पत्र के आधार पर नवीनीकृत की गई है। भविष्य में प्रसार संख्या सहित किसी भी अन्य तथ्य के गलत या भ्रामक पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के सूचीबद्धता निरस्त करने का अधिकार समिति का होगा। नवीनीकृत समाचार पत्रों, जिनको डी.ए.वी.पी. दर प्राप्त नहीं है, उनको घोषित प्रसार संख्या के आधार पर नियमावली के अनुसार दर निर्धारित की गई हैं।

(डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय)
महानिदेशक

पत्रांक : / सू.एवंलो.स.वि. (विज्ञा.)42 / 2016 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड।
2. समिति के सदस्यों को।
3. सम्बन्धित जिला सूचना अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्तानुसार सम्बन्धित आवेदकों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय)
महानिदेशक